

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

09-01-2014

श्री रणधीर कुमार सिंह, पिता—श्री महानंद सिंह, सा०—गर्दनीबाग, रोड नं०—06—डी०, प्रिंस कॉलोनी, पो०—अनिसाबाद, थाना—गर्दनीबाग, जिला—पटना द्वारा एक एन०पी०बोर रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2013 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०—09—447/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक—09.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।


निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसायी हैं और पार्टनरशिप में मेसर्स स्वास्तिक इंजिकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी फर्म निबंधित है। व्यवसाय के क्रम में बैंक से अधिक मात्रा में रूपया ले जाने के क्रम में वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—1482/गो०, दिनांक—14.10.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे व्यवसाय करते हैं। जाँच प्रतिवेदन में कंडिका—10 के किसी शर्त का पूरा नहीं करने की टिप्पणी अंकित है लेकिन कंडिका—15 में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को व्यवसाय के क्रम में बैंक से अधिक मात्रा में रूपया ले जाने हेतु सुरक्षा कारणों से शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि “आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।”


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन, उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक



अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा को देखते हुए उन्हें पूर्व में एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी है और इसके अतिरिक्त उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री रणधीर कुमार सिंह, पिता-श्री महानंद सिंह, सा0-गर्दनीबाग, रोड नं0-06-डी0, प्रिंस कॉलोनी, पो0-अनिसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।